राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह–7 / 2021 जयपुर, दिनांकः **09 जनवरी, 2022**

आदेश

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वैरिएंट **'Omicron'** से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 26.11.2021, 29.12.2021, 02.01.2022 एवं आदेश / संशोधित आदेश दिनांक 05.01.2022 को समेकित (Consolidate) करते हुए **महामारी सतर्क–सावधान जन–अनुशासन दिशा–निर्देश** जारी किये जाते है।

विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होनें कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाईजेशन (ऑक्सीजन एवं आईसीयू) की आवश्यकता कम देखी जा रही है। इसलिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई जावे। बच्चों में वैक्सीनेशन हेतु शैक्षणिक संस्थानों में वैक्सीनेशन कैम्प आयोजित कर वैक्सीन लगवाने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाये ताकि योग्य विद्यार्थियों (15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) द्वारा वैक्सीन लगवाई जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :

कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चें **घर पर रहकर** ही अध्ययन करें। बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।

1. राज्य के समस्त **नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र** में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय / कोचिंग) गतिविधियां दिनांक **30 जनवरी, 2022** तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा।

   कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता–पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय / समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय / कोचिंग जाने की अनुमति होगी।

2. प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक / कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार–बार सेनेटाईजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाये और यदि जिन संस्थानों में ऐसा संभव न हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये। ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाये। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान / संचालक की होगी।

   जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त की अनुपालना की निगरानी करवाई जायेगी एवं उल्लघंन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान / संचालक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु जारी दिशा–निर्देशों **(परिशिष्ट 'B')** की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

समारोह आयोजन के संबंध में :

3. विवाह–समारोह में अधिकतम **100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50)** व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड–बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।

   विवाह समारोह आयोजन

   a. विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी।

   b. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

   c. **सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों** से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

   d. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की **वीडियोग्राफी** करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

   e. यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड–19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको **07 दिवस** के लिए सील कर दिया जाएगा।

4. **अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार** सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या **20** से अधिक नहीं होगी।

5. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम **100** (**नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50**) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।

समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं **कोविड उपयुक्त व्यवहार** जैसे डबल–डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, **नो मास्क नो एन्ट्री,** स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।

धार्मिक स्थलों के संबंध में :

6. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल **प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक** श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु **धार्मिक स्थलों** पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल–डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी।

   धार्मिक स्थल में फूल–माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

   कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि दिनांक **13 जनवरी, 2022 (लोहड़ी)** एवं **दिनांक 14 जनवरी, 2022 (मकर संक्रान्ति) के त्योहार घर पर रहकर ही मनायें।**

   जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। **जिला कलक्टर** की अध्यक्षता में **गठित समिति** समय–समय पर धार्मिक स्थलों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उपाय एवं आमजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना हेतु जागरूकता का प्रसार करेगी।

   धार्मिक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु Announcement System के माध्यम से कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल–डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने के सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार किया जायेगा।

व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में :

7. रेस्टोरेन्ट्स/क्लबों द्वारा **होम डिलीवरी** की सुविधा **प्रतिदिन 24 घण्टे** अनुमत होगी। Take away एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ **रात्रि 10:00 बजे** तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।
8. प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/Amusement Parks /ऑडिटोरियम/बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 **प्रतिशत** क्षमता के साथ **रात्रि 08:00 बजे** तक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (**1st & 2nd dose)** लिये हुए व्यक्तियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे।
9. समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक–व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन **रात्रि 08:00 बजे** तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा।

10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1st & 2nd dose) **दिनांक 31 जनवरी, 2022** तक लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।

11. **दिनांक 31 जनवरी, 2022** पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज (1st & 2nd dose) वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जायेगा तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) एवं एंटी कोविड टीम (ACTs) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी।

आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में :

12. राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। इस हेतु पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को **आइसोलेशन जोन** के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा।

कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये **आइसोलेशन जोन** बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा।

- ऐसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 4,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों/अतिथियों के ठहरने हेतु **40** या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है।
- उक्त गतिविधि हेतु जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही http://covidinfo.rajasthan.gov.in →e-Intimation पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।
- मेहमानों/अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये।
- आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान/अतिथि द्वारा RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो।
- समस्त अतिथियों/मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा।

- आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।
- आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों/अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान/अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।

जन जागरूकता :

13. **स्वायत्त शासन विभाग** द्वारा आमजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु **जन–जागरूकता अभियान** चलाया जायेगा।

भेद्य व्यक्तियों (Vulnerable Persons) के लिए सलाह :

14. **भेद्य व्यक्तियों (Vulnerable Persons)** जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाऐं तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति–आवश्यक है कि वे समय–समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

जन–अनुशासन कर्फ्यू :

15. संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक **शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे** तक आगामी आदेशों तक जन–अनुशासन **कर्फ्यू** रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगें।

    तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगाः–

    i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
    ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
    iii. आई.टी./दूरसंचार/ई–कॉमर्स कम्पनियां।
    iv. कैमिस्ट शॉप।
    v. विवाह–समारोह आयोजन सम्बन्धी।
    vi. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
    vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
    viii. वैक्सीनेशन स्थल पर आने–जाने हेतु।
    ix. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
    x. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।

    (इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।)

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड–19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं किसी भी संस्था/संगठन द्वारा उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित संस्था/संगठन को सील किया जायेगा।

16. **सिटी/मिनी बसों** का संचालन **प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक** अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing)

17. **संपूर्ण प्रदेश में** प्रतिदिन **रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे** तक **जन अनुशासन कर्फ्यू** रहेगा।

18. समस्त प्रदेशवासियों द्वारा दिनांक 31.01.2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के साथ–साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण **(1st & 2nd dose)** के साथ–साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

19. प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ो की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी।

जोन	**ग्राम पंचायत स्तर पर**	**नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों हेतु**
ग्रीन	0 कोविड एक्टिव केस	एक लाख जनसंख्या पर 50 कोविड एक्टिव केस
येलो	1–20 कोविड एक्टिव केस	एक लाख जनसंख्या पर 51–100 कोविड एक्टिव केस
रेड	20 से अधिक कोविड एक्टिव केस	एक लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक कोविड एक्टिव केस

20. जिन क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक हो, जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक अनुमत गतिविधियों के अलावा स्थिति के आंकलन के आधार पर येलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।

21. उक्त दिशा–निर्देशों का बिन्दु संख्या 1 तुरन्त प्रभाव से एवं शेष दिनांक 11 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।

उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। **(परिशिष्ट 'F')**

(अभय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)

a. **मुंह को ढकना (Face Covering):** सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Movement"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।

b. **सामाजिक दूरी (Social Distancing):** सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

c. **Spitting in public places : सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

d. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छुने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

e. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

f. **घर से कार्य** (WfH) : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।

g. **Staggering of work/business hours :** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य/व्यावसायिक समय में अंतराल रखा जाए।

h. कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम–से–कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।

i. **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) :** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

j. **बार–बार सैनिटाईजेशन करना** : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

परिशिष्ट–'B'

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में

1. **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।**

2. **शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।**

3. **शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता–पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता–पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।**

4. **ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।**

5. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक **शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग** की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावेगा।

6. अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Entry"** की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी/स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक छात्र के मध्य कम–से–कम दो गज की दूरी सुनिश्चित हो सके।

8. शिक्षण संस्थानों द्वारा **प्रार्थना सभा (Assembly) एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड–भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा।**

9. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान **परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी)** का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो। इसके साथ ही भिन्न–भिन्न कक्षाओं के आवागमन के समय में कुछ समय का अन्तराल रखा जाये ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एकत्रित न हो। संस्थान **परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।**

10. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि **प्रतिदिन सेनेटाईज** किया जावे एवं **खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे** ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।

11. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा।

12. जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाये व रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जायेगा।

13. विभिन्न विभागों (समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक विभाग एवं टीएडी) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावास द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी एवं संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

14. सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध है एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावे।

15. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को **7 दिनों** के लिए बंद किया जायेगा।

16. किसी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।

17. शिक्षण संस्थानों द्वारा माता–पिता/अभिभावक को यह परामर्श दिया जाये कि किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना विद्यालय/स्थानीय प्रशासन को दी जावे।

18. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के सम्बन्ध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यालयों में चिकित्सा दल भेजकर स्टाफ/विद्यार्थियों की रेण्डम सेम्पलिंग कराई जाये। पुलिस, यातायात व चिकित्सा विभाग के कार्मिकों द्वारा स्कूल वाहनों की रेण्डम जांच कर कोविड गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाये।

19. शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण द्वारा विद्यालयों में कोविड गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाये। कोविड

गाईडलाईन्स की पालना हेतु विद्यालय प्रधान व स्कूल प्रशासन पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

20. प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य विस्तृत दिशा–निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

21. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

22. विभिन्न शहरों/कस्बों/ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तत्कालिक परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी विद्यालय/हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बंद करने या अन्य कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट अधिकृत होगें। ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्देश जारी किये जा सके।

परिशिष्ट 'C'

Joint Enforcement Team (JET)/Anti-Covid Team(ACT)

1. कोविड के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं, इसलिये लोगों का एंटी कोविड–19 गतिविधियों अर्थात् **कोविड उपयुक्त व्यवहार** जैसे कि मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, कार्यालय स्थल की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, इकठ्ठा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संभावितों की जांच के लिये चिकित्सा दल भेजना आदि के लिये पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।
2. भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों दिनांक 24.03.2020 में **इंसीडेन्ट कमाण्डर्स** की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसे अभी भी जारी रखने की आवश्यकता है।
3. राज्य में कोविड–19 संक्रमण केसों में हो रही वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की **संयुक्त प्रवर्तन दल (Joint Enforcement Team, JET)** बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान (Drive) चलाया जाए ताकि कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।
4. सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड–19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना सुनिशिचित की जावे। संयुक्त प्रवर्तन दल (JET) द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जावें और यदि कोई संस्था/संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था/संगठन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. जिला कलक्टर/इन्सीडेन्ट कमाण्डर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित कर संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग हेतु विशेष दल (Anti-Covid Team, ACT) बनायेंगे। जो Covid Appropriate Behaviour की पालना, टीकाकरण एवं जन जागरण अभियान में सहयोग करायेगा।
6. एक टीम में कम से कम दो अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक पुलिसकर्मी या होमगार्ड होना चाहिए और एक क्षेत्र उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि वे लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार पर निगरानी रख सके। **टीम के सदस्यों को विशेष कैप तथा बैज दिये जा सकते हैं।**
7. हालांकि IEC के द्वारा कोविड–19 के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों का इस संबंध में **आत्म–अनुशासन (self discipline)** के लिये और प्रेरित किया जाना आवश्यक है।

परिशिष्ट 'D'

राजस्थान में आने वाले यात्रियों के संबंध में:–

1. यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) **दिनांक 07.01.2022** की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।

2. इसके अतिरिक्त विदेशों से **अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा** कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर **एयरपोर्ट कोविड टीम** द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को **7 दिवस** के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

3. प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल {SSO→login→COVID 19 STATISTICS→District Quarantine Statistice (Form-4)} के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन नियमों/कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

4. **घरेलू हवाई यात्रा/रेलवे/सड़क मार्ग** से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को **डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा** आगमन से पूर्व **यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर** करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को **7 दिवस** के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

   महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर/एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी।

5. सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अथवा डबल डोज वैकसीनेशन की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक–पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे।

6. राज्य के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि कोविड–19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जिला यात्राऐं नहीं करें।

परिशिष्ट 'E'

कार्यालयों के सम्बन्ध में

1. **नगर निगम एवं नगर पालिका** क्षेत्रों में स्थित सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सामाजिक दूरी बनाये रखना संभव न हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति / 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work From Home) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे।

2. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा :–

   जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, हॉमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन / वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C), सूचना एवं जन संपर्क विभाग(DIPR) नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन / दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा।

3. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन / गर्भवती महिला / 55 वर्ष या उससे अधिक आयु / पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी / अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक रहेगा।

4. वे कर्मचारी / अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।

5. कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम–से–कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।

6. सभी अधिकारी / कर्मचारी को कोविड उपयुक्त व्यवहार (बार–बार हाथ धोना, सेनेटाईजेशन, मास्क पहनना, बैठने में सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं डबल डोज वैक्सीनेशन) का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

7. सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाली सभी सतहों जैसे दरवाजे के हैण्डल, टेबल, कुर्सीयां, अन्य सामग्री को बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि कोरिडोर, कैन्टीन एवं अन्य स्थलों पर अनावश्यक भीड़–भाड़ ना हो।

9. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट 'F'

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	अपराध	शास्ति (रू0)	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	1000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रेंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं किये जाने पर।	500/–	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/–	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर।	200/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/–	
6.	आयोजकों द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ त्योहारों/ शादी–समारोह में अधिकतम 100 **(नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50)** **व्यक्तियों** से अधिक के सम्मिलित होने पर।	10,000 (रू0 दस हजार)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबंधक एवं अधिभोगी (Occupier) द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ त्योहारों/ शादी–समारोह	10,000 (रू0 दस हजार)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी

	में अधिकतम **100** (**नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50**) **व्यक्तियों** से अधिक के सम्मिलित होने पर।		
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/–	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यावधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।	10,000/–	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक 2. रीको ईकाई के प्रमुख

Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473014, 2473931 email- examconduct@rtu.ac.in

No. F-(23)/EXAM-CONDUCT/2021-22/5.216/ 11335 Dated: 10/01/2022

The Director/Principal
All affiliating colleges
Under Jurisdiction of RTU, Kota

Subject: Guidelines & Advisory for Odd Semesters (Main/Back/Mercy Back) Examinations January, 2022.

Dear Sir/Madam,

University Examinations of B. Tech V & VII, BHMCT V & VII, B. Arch. V, VII & IX, MCA III & V, M. Tech. III and M. Arch. III Semesters (Main/Back/Mercy Back) Examinations of session 2021-22 of eligible batches shall commence from **19th January, 2022**. You are requested to do necessary preparations for conducting examinations and inform all such students to prepare themselves for the same. Following are the guidelines with regards to conduction of examinations considering COVID-19. All staff deputed/ involved in examination work shall compulsorily be COVID vaccinated. **COVID vaccination certificate should be compulsorily carry on each day of examination by staff, faculty & examinees.**

<u>Conduct of Examination:-</u>

- The examinations shall be conducted in physical mode observing all protocols of social distancing and taking safety measures against COVID-19 pandemic.
- These examinations will be held only for the Main/Back/Mercy Back examinee category of eligible batches.
- Examinations shall commence from 19th January, 2022.
- Duration of examination shall be of **Three hours** for all courses.
- Question papers shall be prepared as per prevailing scheme of the course.
- Strict adherence of state Govt. order no. Pa.7(1) Home-7/2021 Jaipur dated 09.01.2022 should be followed.

- **Examination Centre:**
- Choice of city for allotment of exam centre different from their college of study have already obtained from the students.
- Theory Exams (End Term) will be conducted at Examination Centres assigned by the RTU. For detail information, please refer list of exam centres provided at website. Students who have opted for change of city option have also taken care while allotting exam centres.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Examination Shifts:

- Examinations will be conducted in one shift i.e. Morning Shift 11:00 A.M. to 02:00 P.M. Reporting Time 10:00 a.m.

Note:- For detailed programme refer time table declared by the University and admit card of the student.

Admit cards :-

(1) Admit cards for odd semesters classes as mentioned at page no. 01, will be made available at www.rtuexam.net → Student Panel. All examinees are advised to take color print out of it on A4 Size paper. Detailed instructions should also be taken at backside of the admit card.

(2) If any examinee opted for change of exam. centre city and successfully made the request online, he/she must take the print out of exam. centre city change confirmation order and carry it along with admit card on each day of examination along with admit card and ID proof.

(3) Examinee must carry Government issued photo ID card and COVID vaccination on each day of examination alongwith above documents as per above point no. 1 and 2.

(4) If photo of the examinee is not found on the online admit card or not properly legible, examinee is compulsorily required to visit allotted exam. centre atleast one day before of the exam. alongwith two passport size color photograph and Government photo ID proof and get it pasted on admit card and verified by the Centre Superintendent of the exam. centre. In case of non-compliance of above, exam. centre reserves the right to not to allow the examinee on examination day at exam. centre and examinee will be solely responsible for such action.

Practical, Midterm, Sessional & Improvement Examinations:

- Practical exams will be conducted on offline mode at the respective college of study of the examinee, immediate after the theory exams, as per schedule decided by the college, if not conducted yet.
- Mid-Term/Improvement Examinations may be conducted on offline mode prior to commencement of theory exams or immediate after the completion of examination, as per convenience and suitability.

General guidelines:

- SOP issued by the Govt. of Rajasthan Home (Group-7) Department Jaipur vide its order no. Pa.7(1) Home-7/2021 Jaipur dated 09.01.2022 should

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473014, 2473931 email- examconduct@rtu.ac.in

be strictly followed and also follow the COVID-19 protocol issued by the Govt. from time to time.

- Examinees shall be allowed with mask along with other permissible items only.
- During the examination wearing of mask will be compulsory. Students may bring personal sanitizer during exam.
- Staff deputed for examination duties shall wear mask and follow social distancing norms strictly for entire duration of examination. They can wear hand gloves, if required.
- If any candidate is of COVID-19 positive (having proof), he/she should not be allowed for the exams.
- If any candidate is symptomatic of COVID-19 but not declared positive be allowed for examinations, but his/her exam. be conducted in isolated room and his/her answer book be packed in a separate envelope. Packet of the candidate be mentioned as 'Covid-19 suspected' alongwith other proformas.
- Self declaration (as mentioned on admit card) be taken from each examinee.
- Entry of the examinees shall start **one hour** before the start of examination.
- **In no case, any student shall be allowed after commencement of examination.**
- Entry and Exit point of the college campus/premises shall preferably be more than one to maintain social distancing protocol. Entry and Exit points shall not be congested/ narrow.
- Hand wash/sanitization facility shall also be provided at Entry/Exit points.
- Room Superintendent (R.S.) shall be appointed for every 15 students with minimum of one R.S. in each room. Rest staff shall be appointed as per prescribed limit. Small rooms having seating capacity below 15 may be avoided. Internal Flying Squad members shall also work as reliever of Room Superintendent, if required.
- Centre Superintendent shall be responsible for conducting examination with full sanctity observing all protocols of social distancing and sanitization of examination centre before and after examination.
- Kindly observe complete guidelines as laid down above. If your center is being used as quarantine center/COVID-19 office by local administration you are requested to take necessary steps to get it free before 15th January, 2022 in order to perform complete sanitization of building and premises.

ADVISORY FOR EXAMINEES REGARDING COVID-19:-

Rajasthan Technical University (RTU) will implement Social Distancing measures as per the Central/State Government guidelines in current scenario of COVID-19 to ensure health & safety of the examinees. Adequate measures are implemented

for safety of all in conduct of the Odd Semesters Examinations 2021-22. Examinees are also required to adhere the guidelines and observe Social Distancing and hygiene to ensure safety & health of their own and fellow examinees. For safety purposes, RTU strongly advises candidates not to bring anything other than permitted items.

Preparation at centre:

1. Standard Operating Procedures (SOP) for implementing safety precautions and for maintaining required standard of hygiene are getting implemented.
2. Before start and after ending of each examination shift/day, the seating area will be thoroughly sanitized. All door handles, staircase railing, lift buttons, etc will be disinfected. Wheelchairs (if present at the venue) will also be disinfected.
3. Gap between 2 seats will be maintained as per RTU (6 feet distance) guidelines.
4. Hand Sanitizer/Soap will be available at entry and inside the exam venue at various places for examinees and exam centre staff to use.
5. Examinee must reach centre as per the Reporting time at Centre given in the Admit Card to avoid any crowding at the centre at the time of entry and to maintain social distancing.

Pre-Exam Preparation:

1. Examinee to check Reporting time at Centre given in the Admit Card and to reach centre as per Reporting time only to avoid any crowding at the centre at the time of entry and to maintain social distancing.
2. Examinee should read instructions completely and properly.
3. Examinees will be permitted to carry only certain items with them at the venue:

- **Examinee must bring their own Mask and wear it during the whole duration.**
- **Exam related documents i.e. Admit Card, photo ID card, COVID vaccination certificate, pen, pencil, scale, calculator (without memory) etc. Please refer Admit Card for more details.**
- **A simple transparent Ball Point Pen**
- **Personal hand sanitizer (50 ml)**
- **Personal transparent water bottle**

At the time of Entry:

1. Examinee need to maintain a space of atleast 6 feet from each other for all the time. Queue manager /ropes and Floor Marks will be arranged outside the centre.
2. Room number will not be displayed outside the premise of centre to avoid any crowding at any one place in any situation. Room chart should be displayed inside the campus atleast 4-5 prominent and visible places.

3. Examinee will be required to sanitize hands by washing with soap and with Hand Sanitizer before entry in centre. Hand sanitizer/soap will be available at various locations in the centre.
4. Examinee should bring duly filled in Admit card as per instructions.
5. Examinee should bring Identity Proof and other documents/articles as advised under **Point-3 of Pre-Exam Preparation**.
6. Do not bring prohibited items at exam centre as there are no arrangements available for safe keeping of your belongings.
7. At the time of entry, the filled in Undertaking on Admit Card and body temperature (using Thermo Guns) will be checked by centre officials and centre staff will guide you to respective room. Candidates are required to strictly adhere to instructions provided by centre staff.
8. Please observe that no-one will be denied permission to appear for examination, until he/she violates the COVID-19 directives/advisories of Government (Central/State), misbehave/guilty of mal-practice and disorderly conduct as per Regulations R-14 on the day of exam and instructions mentioned in the Admit Card.
9. Centre may take strict watch on all examinees to avoid of using mal-practice. No examinee can bring any study material or electronic gadget in examination hall. Centre may take appropriate mechanism for restricting such items. Invigilators may instruct to have birds eye on every examinee during entire examination period.
10. Proper reports with full description of the incident be mentioned in the Unfairmeans proforma. This will be very helpful while taking decision on UM cases. It must be care that no innocent be punished and no examinee found using of mal-practice be left out for punishment.

During Examination:

1. Blank answer book will be kept at each candidate's seat for answering of question paper. Blank answer book as well as filled answer book shall not be exchanged with any other examinee or at its table in any case.
2. Exam centre will sanitize each seat, table and entire rooms before start of examination and after completion of examination. Candidates can further sanitize the seat with his/her own sanitizer.
3. Candidates are required to sign on the attendance sheet after sanitizing hands with sanitizer.

After Examination:

1. On completion of an exam, candidates will be permitted to move out in an orderly manner, one candidate at a time. Please wait for instructions from invigilator and do not get up from your seat until advised.
2. Ensure to collect the signed admit card from all examinees of Odd Semesters Examinations 2021-22.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

3. You are requested to collect the signed admit card from all examinees on the last day of examination of concerned students. If a candidate appearing in Odd Semesters examination and he/she has to given only two back subjects then his last day be treated as per his/her date printed on the admit card. In this regard kindly arrange a Box or Carton and ask all examinees to drop their signed (all exam days signatures must be put on the admit card) admit card in the advised box or carton. If any examinee asks for another copy of admit card, centre may give its own copy to him/her or may advise him/her to reprint it from RTU online portal. Duly signed admit cards will be kept at centre in safe custody along with centre copy of students attendance sheets. If any examinee misses to drop signed admit card in box/cartoon, suitable action may be taken against him/her by the University.

You are requested to follow all guidelines and directions as mentioned above strictly. If any examinee found guilty of violating above norms, Centre Superintendant may take appropriate action on spot looking to the severity of violation.

Thanking You.

Encl.:- Order no. Pa.7(1) Home-7/2021
Jaipur dated 09.01.2022

(Prof. Dhirendra Mathur)
Controller of Examination

Copy to:- for information and necessary action please

1. P.S. to HVC, RTU, Kota
2. Joint Secretary, Technical Education, Govt. of Rajasthan, Jaipur
3. Dean, Faculty Affairs, RTU, Kota
4. Registrar, RTU, Kota
5. Finance Comptroller, RTU, Kota
6. All AR's (Exam)
7. Data Processing Agency, RTU, Kota
8. Web Master: to upload it at RTU website
9. Student Help Line, RTU, Kota

(Satya Pal Yadav)
Assistant Registrar (Exam)